न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज पप्पू .... बनाम राज सरकार वगै. प्र.नं. 58/23 अंक नं.– प्रा.पत्र 136LRAct किस्म –	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13.02.26 को पेश हो।	
13.02.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रा.पत्र में प्रार्थी के पिता मूल्या व मूलया एक ही व्यक्ति है के संबंध में तहसीलदार मण्डावर को स्पष्ट अभिशंषा रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते रिपोर्ट मय स्पष्ट अभिशंषा दिनांक 27.2.26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
27.2.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार मण्डावर से रिपोर्ट मय स्पष्ट अभिशंषा प्राप्त। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र धारा 136 पर बहस हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र धारा 136 पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रा.पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया, जरूर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
48/2023	31.10.2023	27.02.2026

बउनवान

पप्पू पुत्र मूल्या, निवासी रींदली, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी/सायल

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थी/गैरसायल

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री खेमसिंह गुर्जर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खसरा नं. 133 लगायत 135, 143, 147 लगायत 157 कुल किता 15, कुल रकबा 2.97 हैक्टे., खसरा सं. 114 लगायत 121, 127 लगायत 132 कुल किता 14, कुल रकबा 2.92 हैक्टे. एवं खसरा सं. 136 रकबा 0. 15 हैक्टे. ग्राम रींदली तहसील मण्डावर जिला दौसा राज. में स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थी का पिता सहखातेदार है तथा अन्य की खातेदारी की आराजी रही है। प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मूल्या पुत्र बुद्धा है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम आराजी प्रार्थना पत्र मद संख्या 1 लगायत 3 में मूसया दर्ज कर दिया है जो गलत है। ग्राम रींदली, तहसील मण्डावर, जिला दौसा की आराजीयात खसरा सं. 159, 165, 198, 201, 202, कुल किता 5, कुल रकबा 0.18 हैक्टे., आराजी खसरा सं. 125, 158, 161, 167 168, लगायत 173, 197, 200, 203, 204, कुल किता 14, कुल रकबा 7.46 हैक्टे. एवं खसरा नम्बर 166, 196, 199, कुल किता 3, कुल रकबा 1.30 हैक्टे. में प्रार्थी के पिता का नाम सही मूल्या पुत्र बुद्धा दर्ज कर रखा है जो सही है। प्रार्थी के पिता के अन्य दस्तावेजों में भी मूल्या पुत्र बुद्धा, जाति बैरवा, निवासी रींदली, तहसील मण्डावर दर्ज है जबकि भू प्रबन्ध विभाग या राजस्व कर्मचारियों को प्रार्थी के पिता का नाम बदलने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उक्त गलती के बने रहने से प्रार्थी के नाम विरासत का नामान्तकरण नहीं खुल पा रहा है तथा प्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है तथा प्रार्थी के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिये प्रार्थी के पिता का नाम विवादित आराजीयात में प्रार्थी के पिता का सही नाम मूल्या पुत्र बुद्धा दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त दुरूस्ती किये जाने से किसी भी सहखातेदार अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई क्षति होने की संभावना भी नहीं है। इसलिये उनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। उक्त गलत प्रविष्ठि की पूर्व में जानकारी नहीं थी। प्रार्थी दिनांक 03.10.2023 को विरासत का नामान्तकरण खुलवाने व केन्द्र सरकार द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

चलायी जा रही योजना प्रधान मंत्री किसान योजना के अर्न्तगत आवेदन करने हेतु नकल प्राप्त की तो प्रार्थी को इस गलती का पता चला। प्रार्थी द्वारा नकल लेने पर ही इसकी जानकारी हुई। इसलिये नकल प्राप्त करने पर उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। वादग्रस्त आराजीयात में अन्य सहखातेदारों से कोई अनुतोष नहीं चाहा जा रहा है ओर ना ही उनके हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड रहा है, इसलिये उनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व नियमानुसार तलबाना फीस पर प्रस्तुत हे। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजीयात में प्रार्थी के पिता का नाम मूस्या पुत्र बृद्धा को हजफ किया जाकर मूल्या पुत्र बुद्धा दर्ज करने के आदेश करें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर के द्वारा अपने पत्रांक भू.अ. / 2025 / 1297 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि ग्राम रींदली के खसरा नं. 133 से 135, 143, 147 से 157, कुल किता 15, कुल रकबा 2.97 हैक्टे. में मुसया पुत्र बुद्धा हिस्सा 1/6 जाति बैरवा राहिन बीओबी मण्डावर दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार खसरा सं. 114 से 121 व 127 से 132, कुल किता 14, रकबा 1.92 हैक्टे. एवं खसरा सं. 136 रकबा 0.15 हैक्टे. में मुसया पुत्र बुद्धा हिस्सा 1/6 जाति बैरवा राहिन बीओबी शाखा मण्डावर दर्ज रिकॉर्ड है। सेटलमेंट खतौनी संवत 2050–69 ग्राम रींदली के खसरा सं. 114 से 121 व 127 से 138, 143 से 146, 147 से 157 में भी मुसया पुत्र बुद्धा हिस्सा 1/6 सा.देह दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत 2023–26 में नामा. सं. 55 दिनांक 29.05.1971 के बुध्या हिस्सा 1/6 की विरासत मूल्या पुत्र बुध्या हिस्सा 1/6 स्वीकार हुई है। वादी का हिस्सानुसार मौके पर कब्जा है। तहसीलदार मण्डावर के पत्रांक भू.अ. / 2026 / 367 दिनांक 25.02.2026 द्वारा मूल्या पुत्र बुध्दा व मुस्या पुत्र बुध्दा एक ही व्यक्ति होना बताया गया।

3. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधान है कि :

> *136. गलतियों का शुद्धिकरण– भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार– अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।*
>
> *परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।)*

4. विवादित आराजीयात 133 लगायत 135, 143, 147, 148 लगायत 157, 114 लगायत 121, 127 लगायत 132, 136 जमाबंदी संवत 2071–2074 में प्रार्थी का नाम मूसया पुत्र बुध्या

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का नाम पूर्व से ही मूसया पुत्र बुध्धा राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी उक्त प्रविष्ठी मूसया पुत्र बुध्धा को दुरूस्त करवाके मूल्या पुत्र बुद्धा करवाना चाहता है। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट एवं विवादित आराजीयात की जमाबंदी संवत 2074–2077, आधार कार्ड, बैंक की प्रति से स्पष्ट है कि विवादित आराजी में वादी का हिस्सा मुताबिक वादपत्र अंकित है किन्तु प्रार्थी के नाम की जमाबंदी में प्रविष्टि मूसया पुत्र बुध्धा दर्ज है जिसको दुरूस्त किया जाकर मूल्या पुत्र बुद्धा किया जाना उचित है।

आदेश

5. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रींदली, पटवार हल्का रींदली, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 133 लगायत 135, 143, 147 लगायत 157, 114 लगायत 121, 127 लगायत 132, 136 की जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि मूसया पुत्र बुध्धा को संशोधित किया जाकर मूल्या पुत्र बुद्धा किये जाने का आदेश तहसीलदार मण्डावर को दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)